

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Monday, 14 March, 2016 / 24 Phalguna, 1937 (Saka)

No. 47

Subject : Guidelines for issue of Casual entry pass and Vehicle Pass for entry in the Assembly Complex

In view of the heightened security concerns, it has been decided to restrict/regulate the entry of visitors as well as vehicles in Delhi Legislative Assembly Complex. It has been directed by the Competent Authority that new rules in this connection be adhered to strictly. As per the new rules that have come into force:-

- For each calendar year, each Member of the House will be issued 02 (Two) "MLA" Parking Labels only against submission of applications in prescribed proforma.
- Security Personnel have been directed not to frisk the MLAs, ex-MLAs and Ex-Metropolitan Council Members while entering the Delhi Legislative Assembly Complex.
- It has also been directed that all other persons even if they are accompanying the MLA in his/her vehicle shall be subjected to the regular security procedures. Such guests will have to obtain a valid casual entry pass from the Reception against a written request.
- The Security Personnel are also directed to check bags/briefcases or any other luggage before being allowed entry into the Assembly Complex.
- The Hon'ble Members are requested to kindly co-operate and adhere to new guidelines strictly.

Proforma for the issue of Identity Cards, Visitors Pass and Vehicle Pass are enclosed for the kind reference of Hon'ble Members. Hon'ble Members are requested to sign and affix their stamp on the application forms. Members who have already applied for the new plastic identity cards, need not apply again.

Prasanna Kumar Suryadevara
SECRETARY

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली
समाचार भाग-2

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 14 मार्च, 2016/24 फाल्गुन, 1937(शक)

सं. 47

विषय: विधान सभा परिसर के लिए वाहन एवं प्रवेश पास जारी किये जान हेतु मार्ग-निर्देश।

गहन सुरक्षा कारणों के मद्देनजर विधान सभा परिसर में आगन्तुको और वाहनों का प्रवेश सीमित/नियमित करने का निर्णय लिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में नये नियमों का सख्ती से पालन किया जाये।

लागू किये गये नये नियमों के अनुसार :

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर विधायकों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए केवल 02 (दो) पार्किंग लेबल्स जारी किए जाएंगे।
- सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि विधायकों, भूतपूर्व विधायकों एवं भूतपूर्व महानगर पार्षदों की सुरक्षा जाँच न की जाए।
- सुरक्षा कर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि विधायकों के वाहन में उनके साथ आने वाले अन्य सभी व्यक्तियों की भी नियमित सुरक्षा जाँच की जाये। ऐसे सभी आगन्तुकों को लिखित में आवेदन कर स्वागत कक्ष से आकस्मिक वैध प्रवेश पत्र लेना होगा।
- सुरक्षा कर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि विधान सभा परिसर में प्रवेश की अनुमति दिए जाने से पहले बैग्स/ब्रीफकेसेज एवं अन्य दूसरे सामान की जाँच की जाए।
- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया इसमें सहयोग करें और नये मार्गनिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु परिचय-पत्र, आगन्तुक पास और वाहन पास जारी किये जाने हेतु प्रपत्र संलग्न है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी मुहर लगा दें। जो माननीय सदस्य नये प्लास्टिक पहचान पत्र के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव